

## स्वतंत्र रूप से खड़े पोर्टेबल मंच के निरीक्षण के लिए सुरक्षा संबंधी मुख्य बिंदु

मंच को मौजूदा नियमों और मानकों की आवश्यकताओं का पालन करते हुए पेशेवर इंजीनियरिंग संस्थाओं द्वारा डिज़ाइन किया जाएगा। मंच का उपयोग, संयोजन और रखरखाव निर्माता के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

\* मानकीकरण - इज़राइल का मानक संस्थान, एसआई 1139. भाग 3: पूर्वनिर्मित घटकों से बने पोर्टेबल और स्थिर टॉवर मंच।

### पोर्टेबल फ्री-स्टैंडिंग मंच का निर्माण, विघटन और परीक्षण

सामान्य रूप से तथा विशेष रूप से मुक्त-खड़े मंचानों के संबंध में विधायी आवश्यकताएं कार्यस्थल पर सुरक्षा (निर्माण कार्य) विनियम, 1988 - अध्याय C: मंच में उल्लिखित हैं।

अनुच्छेद A - सामान्य

मंच की स्थापना और विघटन सभी प्रकार के मंचों के लिए समग्र नियमों के अनुसार किया जाएगा:

पेशेवर मंच निर्माता का पर्यवेक्षण, 1998 और 2019 के विनियम।

17. (a) 6 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले किसी भी मंच को पेशेवर मंच निर्माता के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और प्रबंधन के अलावा स्थापित या हटाया नहीं जाएगा। 2019 का विनियमन

17. (b) पेशेवर मंच निर्माता इन विनियमों के प्रावधानों और मंचान निर्माता के निर्देशों के अनुसार ही मंचान को स्थापित, ध्वस्त या परिवर्तित करेगा, और यदि मंच के लिए मंच निर्माण योजनाकार द्वारा योजना की आवश्यकता होती है, तो मंच निर्माण योजनाकार और मंच योजना के निर्देशों के अनुसार भी।

विनियमन 20 - मंच निरीक्षण

(A) फोरपर्सन प्रत्येक मंच का निरीक्षण करेगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वह अपने इच्छित उद्देश्य के लिए स्थिर है या नहीं।

(B) उप-विनियमन के तहत निरीक्षण (a) मंच की स्थापना के समय और उपयोग करने से पहले जांच की जाएगी, तथा तत्पश्चात् निरीक्षण किया जाएगा -

- (1) कम से कम हर सात दिन में एक बार;
- (2) तीन दिन या उससे अधिक समय तक कार्य बंद रहने के बाद;
- (3) बारिश या हवा के कारण एक या अधिक दिनों तक कार्य बंद रहने के बाद।

(C) फोरपर्सन प्रत्येक मंच निरीक्षण का लेखा-जोखा सामान्य रजिस्टर में दर्ज करेगा और निर्माण निष्पादक को इस खाते की सूचना देगा। यह प्रावधान ऐसे मंच पर लागू नहीं होगा जिनसे कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक गहराई तक नहीं गिर सकता या गंभीर मंचानों पर लागू नहीं होगा।

सामान्य तौर पर, नियम निर्माण उद्योग के लिए बनाए गए थे, और इसलिए, विनियामक ने मंच के निरीक्षण की जिम्मेदारी उद्योग के फोरपर्सन को सौंपी। औद्योगिक संयंत्रों या निर्माण स्थल के अलावा किसी अन्य कार्यस्थल में मंच के निरीक्षण की आवश्यकताओं के संबंध में कानून या अन्य बाध्यकारी निर्देशों की अनुपस्थिति में, कार्यस्थल पर सुरक्षा (निर्माण कार्य) विनियम, 1988 के प्रासंगिक विनियमों की आवश्यकताओं के अधीन, संगठन के फोरपर्सन द्वारा मंचान का निरीक्षण किया जाना प्रथागत है।

इस मामले में, चुने गए फोरपर्सन को मंच योजनाकार या निर्माता से पेशेवर मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। इस संबंध में, आप अपने संगठन में किसी उपयुक्त विशेषज्ञ, जैसे कि कुशल और अनुभवी रखरखाव कर्मचारी की सहायता भी ले सकते हैं।

